रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082026-275439
CG-DL-E-13082026-275439

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 663] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 2026/श्रावण 21, 1948
No. 663] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 2026/SHRAVAN 21, 1948

रेल मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 727(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (भारतीय रेल पर कंटेनर गाड़ियों को चलाने के लिए ऑपरेटर को अनुज्ञा) नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (भारतीय रेल पर कंटेनर गाड़ियों को चलाने के लिए ऑपरेटर को अनुज्ञा) संशोधन नियम, 2026 है ।

(2) ये नियम **राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।**

2. भारतीय रेल (भारतीय रेल पर कंटेनर गाड़ियों को चलाने के लिए ऑपरेटर को अनुज्ञा) नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में, "अधिनियम, 1956" शब्द और अंकों के स्थान पर, "अधिनियम, 2013" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"7. रेल कंटेनर आपरेटरों का विनियमन--कंटेनर रेल ऑपरेटर को भारतीय रेल नेटवर्क के सभी मार्गों पर कंटेनर गाड़ियां चलाने के लिए एकल एकीकृत अखिल भारतीय कंटेनर रेल ऑपरेटर (सीटीओ) अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी।"

4. उक्त नियमों के नियम 8 में, उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) कोई कंपनी, जिसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अधीन दिवालिया या शोधन अक्षम घोषित किया गया है, वह अकेले या अन्य कंपनियों के साथ मिलकर, कंटेनर गाड़िया चलाने के लिए आवेदन करने की पात्र नहीं होगी।"

5. उक्त नियमों के नियम 10 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(1) प्रत्येक आवेदक को, कंटेनर गाड़ियां आपरेट करने के लिए आवेदन जमा करते समय, भारतीय रेल नेटवर्क के सभी मार्गों के लिए पच्चीस करोड़ रुपये की अप्रतिदेय पंजीकरण फ़ीस जमा करना अपेक्षित होगा।"

6. उक्त नियमों में, नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

11. अनुमति देने की रीति--(1) श्रेणी - 1 के अधीन पंजीकृत ऑपरेटर रियायत अवधि की समाप्ति तक उसी श्रेणी में आपरेट करना जारी रखेंगे:

परंतु भारतीय रेल नेटवर्क के सभी मार्गों के लिए नए एकल एकीकृत अखिल भारतीय कंटेनर रेल ऑपरेटर (सीटीओ) अनुज्ञप्ति में उनकी रियायत अवधि के नवीनीकरण के लिए उनसे कोई विस्तार या नवीकरण फीस नहीं ली जाएगी।

(2) श्रेणी-2, श्रेणी-3 और श्रेणी-4 में पंजीकृत ऑपरेटर, अपनी रियायत अवधि की समाप्ति तक उसी श्रेणी में ऑपरेट करना जारी रखेंगे।

(3) भारतीय रेल नेटवर्क के सभी मार्गों के लिए नए एकल एकीकृत अखिल भारतीय कंटेनर रेल ऑपरेटर (सीटीओ) अनुज्ञप्ति में रियायत अवधि के नवीनीकरण या विस्तार के लिए, श्रेणी-2, श्रेणी-3 और श्रेणी-4 के अधीन पंजीकृत ऑपरेटरों को पंद्रह करोड़ रुपये की रकम जमा करनी होगी, जो अप्रतिदेय होगी।

(4) श्रेणी-2, श्रेणी-3 और श्रेणी-4 के अधीन ऑपरेटर भारतीय रेल नेटवर्क के सभी मार्गों के लिए रियायत अवधि के बीस वर्ष पूरे होने से पहले नए एकल एकीकृत अखिल भारतीय कंटेनर रेल ऑपरेटर (सीटीओ) अनुज्ञप्ति में स्थानांतरित हो सकेंगे, जिसके लिए पंद्रह करोड़ रुपये जमा करने होंगे, जो अप्रतिदेय होंगे ।

7. उक्त नियमों के नियम 13 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

“(1) अनुमति की वैधता ऑपरेटर द्वारा कंटेनर रेलों के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से बीस वर्ष की अवधि के लिए होगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, उसी पार्टी या ऑपरेटर को, उसके आवेदन पर, बिना किसी विस्तार फीस के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन अनुमति की वैधता की समाप्ति के पश्चात् अनुमति को बीस वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा:

परंतु उसी ऑपरेटर को पश्चात्वर्ती विस्तार बिना किसी विस्तार या नवीकरण फीस के होंगे।”

[फा. सं. 2024/टीटी-III/73/1]

सय्यद अब्दुल रहमान, कार्यकारी निदेशक, यातायात परिवहन(कोयला)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 593(अ), तारीख 26 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 429(अ), तारीख 14 जून, 2007 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2026

G.S.R. 727(E).— In exercise of the powers conferred by section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Indian Railways (permission for operators to move container trains on Indian Railways) Rules, 2006, namely: –

1. **Short title and commencement**. – (*1*) These rules may be called the Indian Railways (permission for operators to move container trains on Indian Railways) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (permission for operators to move container trains on Indian Railways) Rules, 2006(hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, for the word and figures “Act, 1956” , the word and figures “Act, 2013” shall be substituted.

3. In the said rules, for rule 7,the following rule shall be substituted, namely: –

“7. **Regulation of Rail Container Operations. –**The Container Train Operator shall be granted a single unified all India Container Train Operator (CTO) license to run container trains on all routes of Indian Railways network.”.

4. In the said rules, in rule 8, for sub-rule (*3*), the following sub-rule shall be substituted, namely: –

“(*3*) Any company which has been declared insolvent or bankrupt, as the case may be, under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 (31 of 2016) shall not be eligible to apply to operate container trains either individually or in association with other companies.”.

5. In the said rules, in rule 10, for sub-rule (*1*), the following sub-rule shall be substituted, namely: –

“(1) At the time of submission of application to operate container train every applicant shall be required to deposit a non-refundable registration fee of rupees twenty-five crores for all routes on the Indian Railways network.”.

6. In the said rules, for rule 11 the following rule shall be substituted, namely: –

"**11. Modalities of granting permission.–**(*1*) The operator(s) registered under Category - I, shall continue to operate in the same category till completion of the concession period:

Provided that they shall not be charged any extension or renewal fee for renewal of their concession period in the new single unified all India Container Train Operator (CTO) license for all routes of Indian Railways network.

(*2*) The operator(s) registered in Category-II, III and IV, shall continue to operate in the same category till the completion of their concession period.

(3) For the renewal or extension of concession period in the new single unified all India Container Train Operator (CTO) license for all routes of Indian Railways network, the operator(s) registered under Category-II, III and IV shall be required to deposit an amount of rupees fifteen crores which shall be non-refundable

(4) The operatorsunder Category-II, III and IV may migrate to the new single unified all India Container Train Operator (CTO) license for all routes of Indian Railways network before completion of twenty years concession period, by depositing rupees fifteen crores which shall be non-refundable.".

7. In the said rules, in rule 13, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: –

"(*1*) The validity of permission shall be for a period of twenty years from the commercial operation date of container trains by the operator and the permission can be extended by twenty years after expiry of the validity of the permission, by the Competent Authority to the same party or operator, as the case may be, on his application, subject to satisfactory performance without any extension fee to be charged:

Provided that subsequent extensions to the same operator shall be without any extension or renewal fee.".

[F. No. 2024/TT-III/73/1]

SYED ABDUL RAHMAN, Executive Director, Traffic, Transportation (Coal)

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II,Section 3, Sub-section (*i*), *vide* notification number G.S.R. 593(E) dated the 26th September, 2006 and was lastly amended *vide* notification number G.S.R. 429 (E), dated the 14th June, 2007.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA